NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 6-11-2024

विषय सूची

भारत ने प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन की मेजबानी की

प्रत्येक निजी संपत्ति सामुदायिक संसाधन (Community resource) नहीं है: उच्चतम न्यायालय

उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति के लिए नए नियम

बढ़ते STEM अनुसंधान के लिए पुनर्जीवित शिक्षा की आवश्यकता

विश्व सौर रिपोर्ट शृंखला

संक्षिप्त समाचार

महाकुंभ मेला

देशबंधु चित्तरंजन दास

तमिलनाडु ने हीटवेव को राज्य-विशिष्ट आपदा घोषित किया

चलो इंडिया अभियान (Chalo India Campaign)

उच्चतम न्यायालय ने यूपी मदरसा अधिनियम की वैधता बरकरार रखी

भारत-कज़ाकिस्तान ने टाइटेनियम स्लैग (Titanium Slag) उत्पादन के लिए संयुक्त उद्यम बनाया

लिग्नोसैट: विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह

रिवर सिटी एलायंस (River City Alliance)

PM ई-ड्राइव योजना (PM E-DRIVE Scheme)

भारत ने प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन की मेजबानी की

सन्दर्भ

- संस्कृति मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ (IBC) के सहयोग से प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन (ABS) का आयोजन किया।

परिचय

- शिखर सम्मेलन का विषय 'एशिया को सुदृढ़ बनाने में बुद्ध धम्म की भूमिका' है।
- शिखर सम्मेलन में एशिया भर से विभिन्न बौद्ध परंपराओं के संघ नेता, विद्वान, विशेषज्ञ और अभ्यासी शामिल हुए।
- एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया गया:
  - बौद्ध कला, वास्तुकला और विरासत;
  - बुद्ध चरिका और बुद्ध धम्म का प्रचार-प्रसार;
  - पवित्र बौद्ध अवशेषों की भूमिका और समाज में इसकी प्रासंगिकता;
  - वैज्ञानिक अनुसंधान और कल्याण में बुद्ध धम्म का महत्व;
  - 21वीं सदी में बौद्ध साहित्य और दर्शन की भूमिका।
- शिखर सम्मेलन भारत की एक्ट ईस्ट नीति का भी प्रकटीकरण है, जो धम्म को मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में रखते हुए एशिया के सामूहिक, समावेशी और आध्यात्मिक विकास पर आधारित है।

बुद्ध धर्म

- बौद्ध धर्म एक आध्यात्मिक और दार्शनिक परंपरा है जो सिद्धार्थ गौतम की शिक्षाओं पर आधारित है, जिन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाता है, जो 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास नेपाल और भारत में रहते थे।
- बौद्ध धर्म का मूल मानवीय दुख, उसके कारणों और उस पर विजय पाने के मार्ग को समझना है।
- बौद्ध धर्म ज्ञान प्राप्ति का मार्ग प्रदान करता है, जिसे दुख और जन्म, मृत्यु तथा पुनर्जन्म (संसार) के चक्र से मुक्ति के रूप में देखा जाता है।
- बौद्ध धर्म में अंतिम लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना है - जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति की स्थिति।

वर्तमान विश्व में बौद्ध शिक्षाओं की प्रासंगिकता

- **सचेतनता(Mindfulness) और ध्यान (Meditation):** हाल के दशकों में, सचेतनता ध्यान, एक केंद्रीय बौद्ध अभ्यास, अपने मानसिक स्वास्थ्य लाभों के लिए व्यापक रूप से अपनाया गया है।
- **भावनात्मक लचीलापन:** बौद्ध धर्म जीवन के एक भाग के रूप में दुख को स्वीकार करने के महत्व को सिखाता है (दुक्खा), इससे लोगों को प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में लचीलापन बनाने में सहायता मिल सकती है।
- **शांति और अहिंसा:** बौद्ध धर्म अहिंसा (अहिंसा) और संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करता है, संवाद और सुलह के लिए एक मॉडल प्रस्तुत करता है।
- **क्षमा:** बौद्ध सिद्धांत क्षमा के महत्व पर भी बल देते हैं, उनकी शिक्षा विशेष रूप से संघर्ष के बाद के समाजों या ऐतिहासिक आघात से निपटने वाले समुदायों में प्रासंगिक है।
- **भौतिकवाद से परे:** प्रायः भौतिक संपदा पर केंद्रित विश्व में, बौद्ध धर्म खुशी पर एक वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रदान करता है - जो आंतरिक शांति, ज्ञान और करुणा में निहित है।

सॉफ्ट पावर कूटनीति

- **सॉफ्ट पावर:** सॉफ्ट पावर की अवधारणा देशों के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभरी है, जिसके माध्यम से वे दबावपूर्ण रणनीति का सहारा लिए बिना प्रभाव डाल सकते हैं तथा धारणाओं को आकार दे सकते हैं।
    - इसे प्रायः सॉफ्ट आधिपत्य (soft hegemony) के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो पश्चिमी देशों, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रयुक्त अवधारणा है।
    - इसका उपयोग लोकप्रिय प्रवृत्तियों के माध्यम से, विशेष रूप से युवा पीढ़ी को लक्ष्य करके, उनके विचारों और मूल्यों को बढ़ावा देकर अन्य संस्कृतियों को प्रभावित करने के लिए किया जाता है।
    - जोसेफ नाई ने सबसे पहले 'सॉफ्ट पावर' शब्द की अवधारणा प्रस्तुत की थी।

भारत की सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर कूटनीति के रूप में बौद्ध धर्म

- **दक्षिण एशियाई देशों के साथ संबंधों को सुदृढ़ करना:** थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम और श्रीलंका जैसे कई दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में बौद्ध परंपराएँ गहराई से जमी हुई हैं।
    - भारत रणनीतिक रूप से अपनी समृद्ध बौद्ध विरासत का लाभ उठाकर संबंधों को सुदृढ़ कर रहा है और चीन के बढ़ते प्रभाव का सामना कर रहा है।
- **खुद को एक शांतिपूर्ण राष्ट्र के रूप में स्थापित करना:** साझा मूल्यों और विविधता पर बल देकर, भारत का लक्ष्य न केवल कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों को गहरा करना है, बल्कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रतीक के रूप में स्वयं को स्थापित करना है।
- **बौद्ध धर्म की उत्पत्ति:** भारत द्वारा बौद्ध कूटनीति को बढ़ावा देने के पीछे ऐतिहासिक आधार हैं, जहाँ बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई है और बोधगया जैसे महत्वपूर्ण स्थल उपस्थित हैं।
- **दलाई लामा और भारत का वैश्विक प्रभाव:** 1959 से भारत में निर्वासन में रह रहे दलाई लामा बौद्ध दर्शन के राजदूत के रूप में कार्य करते हैं।

- दलाई लामा और तिब्बती बौद्ध धर्म के लिए भारत के समर्थन ने विश्व भर के बौद्ध समुदायों के बीच इसके प्रभाव को बढ़ाया है।

- **नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार:** 5वीं शताब्दी ई. में स्थापित मूल नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध अध्ययन का एक प्रमुख केंद्र था, जो पूरे एशिया से छात्रों और विद्वानों को आकर्षित करता था।
  - नए नालंदा विश्वविद्यालय का लक्ष्य बौद्ध अध्ययन में शिक्षा और अनुसंधान के लिए एक वैश्विक केंद्र बनना है।
- **बौद्ध कला और स्मारक:** अजंता और एलोरा गुफाएँ, सांची स्तूप और सारनाथ में महान स्तूप जैसी भारतीय बौद्ध कला और वास्तुकला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हैं जो भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक के रूप में कार्य करते हैं।
- **विदेश नीति:** देश की विदेश नीति पंचशील पहल और पंचामृत सिद्धांतों सहित गैर-सैन्य दृष्टिकोण पर बल देती है।
  - एक महत्वपूर्ण पहलू संस्कृति एवं सभ्यता है, जो भारत के अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को प्रकट करता है ताकि इसकी सॉफ्ट पावर रणनीति को मजबूत किया जा सके।
- **पर्यटन:** भारत वर्तमान में विश्व के आठ सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध स्थलों में से सात का घर है।
  - पर्यटन मंत्रालय कई ऐसे पर्यटन सर्किट को बढ़ावा दे रहा है जो राष्ट्रीय सीमाओं का उल्लंघन करते हैं।
    - बौद्ध धर्म के पवित्र स्थान, जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ और उन्होंने शिक्षा दी, उपदेश दिए, तथा 'ज्ञान' और 'निर्वाण' प्राप्त किया, उन्हें बौद्ध सर्किट कहा जाता है।

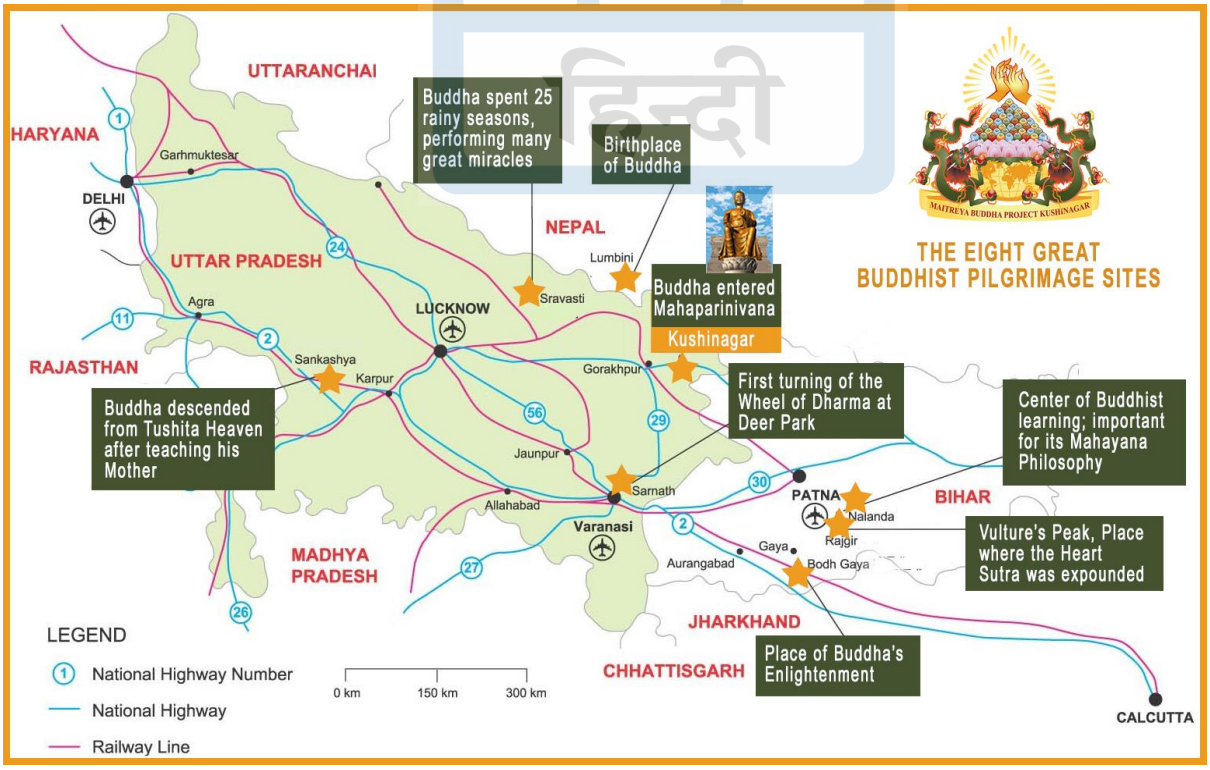

निष्कर्ष

- बौद्ध धर्म के माध्यम से भारतीय और एशियाई संस्कृतियों का ऐतिहासिक जुड़ाव आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है।
- ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों का लाभ उठाकर, भारत राष्ट्रों के बीच आपसी समझ, सहयोग और सद्भावना को बढ़ावा देना चाहता है।
- बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा देने और नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार जैसी पहलों के माध्यम से, भारत शिक्षा के क्षेत्र में अपने नेतृत्व को सुदृढ़ करने के साथ-साथ अपनी सांस्कृतिक तथा कूटनीतिक आधार को मजबूत करने का प्रयास करता है।

Source: PIB

प्रत्येक निजी संपत्ति सामुदायिक संसाधन(community resource) नहीं है: उच्चतम न्यायालय

सन्दर्भ

- हाल ही में, भारत के उच्चतम न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने निर्णय दिया कि राज्य केवल 'सार्वजानिक हित (common good)' के आधार पर निजी संपत्ति पर नियंत्रण नहीं कर सकता।

मामले(Case) की पृष्ठभूमि

- यह मामला मुंबई स्थित संपत्ति मालिक संघ द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 के अध्याय VIII-A की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी, जो राज्य को मासिक किराए के सौ गुना मुआवजे के साथ निजी संपत्ति का अधिग्रहण करने की अनुमति देता है।
- 1992 में शुरू में दायर की गई याचिकाओं को 2002 में नौ न्यायाधीशों की पीठ को भेजा गया था और आखिरकार दो दशकों से अधिक समय के बाद 2024 में सुनवाई हुई।

निजी संपत्ति की प्रकृति

- निजी संपत्ति की अवधारणा विश्व भर में कानूनी और आर्थिक प्रणालियों की आधारशिला रही है।
- भारत में निजी संपत्ति के अधिकार विभिन्न संवैधानिक संशोधनों और न्यायिक व्याख्याओं के माध्यम से विकसित हुए हैं।
- प्रारंभ में, 'संपत्ति का अधिकार' संविधान के अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 के तहत एक मौलिक अधिकार था। हालांकि, 1978 में 44वें संशोधन ने इसे अनुच्छेद 300A के तहत एक संवैधानिक अधिकार बना दिया, जिससे राज्य को उचित प्रक्रिया के माध्यम से और पर्याप्त मुआवजे के साथ ही निजी संपत्ति का अधिग्रहण करने की अनुमति मिल गई।

उच्चतम न्यायालय का फैसला

- भारत के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में बहुमत की राय में पाया गया कि न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर का 1978 का निर्णय, जिसमें सुझाव दिया गया था कि सभी निजी संपत्तियों को सामुदायिक संसाधन माना जा सकता है, 'अस्थायी' है।

- न्यायालय ने निर्णय दिया कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 39(b) के तहत सभी निजी स्वामित्व वाली संपत्तियों को 'समुदाय के भौतिक संसाधन' नहीं माना जा सकता है, और इसका मूल्यांकन एक समान आवेदन के बजाय केस-दर-केस आधार पर किया जाना चाहिए।
- इसने न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर के 1978 के निर्णय को बदल दिया, जिसमें अनुच्छेद 39(b) की व्यापक व्याख्या की गई थी।

अनुच्छेद 39(b) पर पुनर्विचार

- उच्चतम न्यायालय ने अपने हालिया निर्णय में स्पष्ट किया है कि निजी संपत्ति को केवल इसलिए 'समुदाय के भौतिक संसाधन' के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता क्योंकि वह एक निश्चित सामाजिक या आर्थिक मानदंड को पूरा करती है।
- बहुमत की राय यह है कि सार्वजानिक हित के नाम पर निजी संपत्ति लेने के लिए अधिक कठोर औचित्य की आवश्यकता होती है।

अनुच्छेद 39(b)

- यह राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। यह राज्य को सार्वजनिक हित की सर्वोत्तम सेवा के लिए संसाधनों के पुनर्वितरण की दिशा में कार्य करने का निर्देश देता है।
- यह राज्य पर नीति बनाने का सकारात्मक दायित्व डालता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 'समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण' इस तरह से वितरित किया जाए कि वे 'सार्वजानिक हित के लिए कार्य करें'।

अनुच्छेद 31C

- इसे अनुच्छेद 39(b) और 39(c) के तहत तैयार कानूनों की रक्षा के लिए 1971 में 25वें संशोधन द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिससे राज्य को समुदाय के कल्याण के लिए आवश्यक संसाधनों को प्राप्त करने की अनुमति मिल गई।

असहमतिपूर्ण राय: न्यायमूर्ति नागरत्ना के विचार

- 'भौतिक संसाधनों' को पहले दो बुनियादी श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, अर्थात्:
  - राज्य के स्वामित्व वाले संसाधन जो राज्य के हैं और जो अनिवार्य रूप से समुदाय के भौतिक संसाधन हैं, जिन्हें राज्य द्वारा सार्वजनिक ट्रस्ट में रखा जाता है; और
  - निजी स्वामित्व वाले संसाधन।
- हालाँकि, 'भौतिक संसाधनों' की अभिव्यक्ति में व्यक्तियों के 'व्यक्तिगत प्रभाव' या 'व्यक्तिगत संबंध' शामिल नहीं हैं, जो प्रकृति और उपयोग में गोपनीय और व्यक्तिगत हैं।
- न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने आंशिक रूप से असहमति व्यक्त करते हुए एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया जो व्यक्तिगत संपत्ति अधिकारों और समुदाय की जरूरतों दोनों पर विचार करता है।

निजी और भौतिक संसाधन

- वन, तालाब, नाजुक क्षेत्र, आर्द्रभूमि और संसाधन-युक्त भूमि पर निजी स्वामित्व हो सकता है। ऐसे संसाधन अनुच्छेद 39(b) के अंतर्गत आते हैं।
- इसी तरह, स्पेक्ट्रम, वायु तरंगें, प्राकृतिक गैस, खदानें और खनिज जैसे संसाधन, जो दुर्लभ और सीमित हैं, कभी-कभी निजी नियंत्रण में हो सकते हैं।
- निजी संसाधनों को राष्ट्रीयकरण, अधिग्रहण, कानून के संचालन, राज्य द्वारा खरीद और मालिक के दान जैसे तरीकों से समुदाय के भौतिक संसाधनों में बदला जा सकता है।

'समुदाय के भौतिक संसाधन' के लिए मानदंड

- निर्णय में स्पष्ट किया गया है कि किसी संसाधन को 'समुदाय के भौतिक संसाधन' के रूप में योग्य बनाने के लिए उसका मूल्यांकन विभिन्न दृष्टिकोणों से किया जाना चाहिए:
  - संसाधन की प्रकृति और विशेषताएँ;
  - सार्वजनिक कल्याण पर प्रभाव;
  - यदि संसाधन राज्य द्वारा नियंत्रित है या निजी स्वामित्व में है;
  - संसाधन की कमी और उपलब्धता; और
  - निजी संस्थाओं के बीच संकेन्द्रित स्वामित्व के निहितार्थ।

उच्चतम न्यायालय के निर्णय के निहितार्थ

- यह व्यक्तिगत संपत्ति अधिकारों की रक्षा के महत्व को रेखांकित करता है, जबकि यह सुनिश्चित करता है कि संसाधन पुनर्वितरण संतुलित और न्यायोचित तरीके से सार्वजनिक हित में हो।
- **मनमाने राज्य अधिग्रहण के विरुद्ध निजी संपत्ति की सुरक्षा:** उच्चतम न्यायालय ने मनमाने राज्य अधिग्रहण के विरुद्ध निजी संपत्ति की सुरक्षा को मजबूत किया और संसाधन पुनर्वितरण के लिए अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित किया।
- **आर्थिक परिवर्तन:** यह निर्णय पहले के निर्णयों को प्रभावित करने वाली समाजवादी विचारधाराओं से दूर हटकर अधिक बाजार-उन्मुख आर्थिक नीति की ओर परिवर्तन को दर्शाता है।
  - उच्चतम न्यायालय ने कहा, 'पिछले तीन दशकों में भारत की गतिशील आर्थिक नीतियों ने देश के तेज विकास में योगदान दिया है, जिससे यह विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है।'
- भारत में संपत्ति के अधिकार और राज्य शक्तियों से जुड़े भविष्य के मामलों पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।

निष्कर्ष

- उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय भारत में संपत्ति अधिकारों के कानूनी परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बिंदु है।
- यह राज्य द्वारा निजी संपत्ति के अधिग्रहण में उचित प्रक्रिया और पर्याप्त मुआवजे के महत्व की पुष्टि करता है।

- चूंकि भारत आर्थिक रूप से विकसित हो रहा है, इसलिए यह निर्णय निजी संपत्ति की प्रकृति की सूक्ष्म समझ प्रदान करता है, जो व्यक्तिगत अधिकारों को सार्वजनिक हित के साथ संतुलित करता है।

Source: TH

उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति के लिए नए नियम

सन्दर्भ

- उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश चयन एवं नियुक्ति नियमावली, 2024 को मंजूरी दे दी।

परिचय

- नए नियम 2006 के पुलिस सुधारों पर प्रकाश सिंह मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में हैं।
- नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, एक समिति राज्य के नए पुलिस प्रमुख का निर्णय करेगी।
- इससे पहले, राज्य सरकार को पात्र अधिकारियों की सूची UPSC को भेजनी होती थी, जो तीन नामों को शॉर्टलिस्ट करके राज्य को भेजती थी, जिसके बाद वह उनमें से किसी एक का चुनाव कर सकती थी।

चयन समिति

- **प्रमुख:** सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली चयन समिति।
- **सदस्य:** इसमें मुख्य सचिव, UPSC द्वारा नामित व्यक्ति, यूपी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनके द्वारा नामित व्यक्ति, एक अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव (गृह) और एक सेवानिवृत्त DGP शामिल होंगे।

भारत में पुलिस प्रणाली से संबंधित मुद्दे

- **औपनिवेशिक विरासत और संरचना:** 1861 का पुलिस अधिनियम अभी भी पुलिस प्रणाली को नियंत्रित करता है, जिसे आधुनिक लोकतांत्रिक शासन के बजाय औपनिवेशिक नियंत्रण के लिए डिज़ाइन किया गया था।
- **राजनीतिक हस्तक्षेप:** राजनेताओं द्वारा बार-बार हस्तक्षेप करने से कानून प्रवर्तन में निष्पक्षता बाधित होती है।
- **हिरासत में मृत्यु:** हिरासत में मृत्यु के विभिन्न मामले हैं, जिसका तात्पर्य है पुलिस/न्यायिक हिरासत में यातना/दबाव से मृत्यु।
    - 1996-1997 के दौरान डी.के.बसु के निर्णय में, उच्चतम न्यायालय (SC) ने भारत में हिरासत में मृत्यु के विरुद्ध एक दिशानिर्देश जारी किया।
- **प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण:** प्रशिक्षण कार्यक्रम पुराने हो चुके हैं और उनमें सॉफ्ट स्किल, नैतिकता और सामुदायिक जुड़ाव पर बल नहीं दिया जाता है।
- **सुधारों को लागू करने में देरी:** प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले (2006) में उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई सिफारिशों सहित विभिन्न सुधार सिफारिशों का सीमित कार्यान्वयन देखा गया है।

आगे की राह

- **सुधारों को लागू करना:** 2006 के आदर्श पुलिस अधिनियम और दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को अपनाना।
- **सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम:** समुदायों के साथ बेहतर संबंधों के लिए महिला सुरक्षा समितियों और सामुदायिक संपर्क समूहों जैसी पहलों को प्रोत्साहित करना।
- **स्वतंत्र निरीक्षण तंत्र:** जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए राज्य और केंद्रीय स्तर पर निरीक्षण निकायों की स्थापना करना।

पुलिस सुधार पर प्रकाश सिंह का निर्णय

- वर्ष 2006 में उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पुलिस सुधार लाने का निर्देश दिया था।
- इस निर्णय में विभिन्न उपाय जारी किए गए थे, जिन्हें सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए करना था कि पुलिस किसी भी राजनीतिक हस्तक्षेप की चिंता किए बिना अपना कार्य कर सके।

क्या निर्णय हुए?

- DGP का कार्यकाल और चयन तय करना ताकि ऐसी स्थिति न आए कि कुछ महीनों में रिटायर होने वाले अधिकारियों को पद दे दिया जाए।
  - राजनीतिक हस्तक्षेप न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस महानिरीक्षक के लिए न्यूनतम कार्यकाल की मांग की गई ताकि राजनेताओं द्वारा उन्हें कार्यकाल के बीच में स्थानांतरित न किया जाए।
- **पुलिस स्थापना बोर्ड (PEB):** पुलिस अधिकारियों और वरिष्ठ नौकरशाहों से मिलकर बने पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा अधिकारियों की पोस्टिंग की जाती है ताकि पोस्टिंग और स्थानांतरण की शक्तियों को राजनीतिक नेताओं से अलग रखा जा सके।
- **राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण (SPCA):** पुलिस कार्रवाई से पीड़ित सामान्य लोगों को एक मंच देने के लिए राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण (SPCA) की स्थापना की सिफारिश की गई थी।
- **राज्य सुरक्षा आयोग (SSC):** पुलिसिंग में बेहतर सुधार के लिए जांच और कानून व्यवस्था के कार्यों को अलग करना, SSC की स्थापना जिसमें नागरिक समाज के सदस्य होंगे और राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग का गठन करना।

Source: IE

बढ़ते STEM अनुसंधान के लिए पुनर्जीवित शिक्षा की आवश्यकता

सन्दर्भ

- भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों से निकलने वाले अधिकांश स्नातकों में उद्योग-अनुकूल कौशल का अभाव है, जो एक महत्वपूर्ण कौशल अंतर को प्रकट करता है।

परिचय

- STEM अनुसंधान चार मुख्य क्षेत्रों में प्रगति के अध्ययन और विकास को संदर्भित करता है: विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित।
- यह जटिल समस्याओं को हल करने, नवाचार को आगे बढ़ाने और उच्च प्रभाव वाले क्षेत्रों की एक श्रृंखला में वैज्ञानिक ज्ञान में योगदान देने पर केंद्रित है।

भारत में STEM अनुसंधान की चुनौतियाँ

- **कौशल अंतर (Skill Gap):** कई भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों के स्नातकों में उद्योग के लिए आवश्यक कौशल की कमी है। यह अंतर उद्योगों के लिए कुशल पेशेवरों को खोजना चुनौतीपूर्ण बनाता है, जिससे आर्थिक विकास प्रभावित होता है।
- **संकाय की कमी (Faculty Shortages):** शिक्षण संस्थान पहले से ही संकाय की कमी का सामना कर रहे हैं, जो नामांकन के मुद्दों के जारी रहने पर अधिक खराब हो जाएगा।
- **गुणवत्ता से ज़्यादा रैंकिंग पर ध्यान:** रैंकिंग के लिए शोध आउटपुट पर बल देने से संकाय पेपर और पेटेंट बनाने की ओर बढ़ते हैं, प्रायः गुणवत्ता से अधिक मात्रा को प्राथमिकता देते हैं। यह ध्यान शिक्षण गुणवत्ता में सुधार करने से संसाधनों को हटा देता है।
- **प्रलोभनकारी शोध केंद्र:** प्रलोभनकारी सम्मेलनों और प्रकाशनों की उपस्थिति वास्तविक शोध से ध्यान हटाती है और शोध परिणामों की विश्वसनीयता और गुणवत्ता को कम करती है।

सुधार के लिए आवश्यक कदम

- **पृथक रैंकिंग सिस्टम:** शिक्षण संस्थानों को उनकी शिक्षण गुणवत्ता के आधार पर रैंक किया जाना चाहिए, जबकि शोध आउटपुट को मुख्य रूप से शिक्षण पर केंद्रित संस्थानों की रैंकिंग को बहुत अधिक प्रभावित नहीं करना चाहिए।
- **शिक्षणशास्त्र पर बढ़ा हुआ ध्यान:** शिक्षण संस्थानों में संकाय को शुरू में शोध की तुलना में शिक्षणशास्त्र को प्राथमिकता देनी चाहिए, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके और बाद में शोध परिणामों को लाभ मिल सके।
- **संकाय विकास कार्यक्रम:** शिक्षण गुणवत्ता में सुधार के लिए संकाय विकास, मेंटरशिप तथा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के अपडेटेड पाठ्यक्रमों पर अधिक बल दिया जाना चाहिए।
- **शोध संस्थानों के साथ सहयोग:** शिक्षणशास्त्र में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए शिक्षण और शोध संस्थानों के बीच संयुक्त प्रयास शिक्षण की गुणवत्ता को मजबूत कर सकते हैं।
- **समर्पित शिक्षण ट्रैक:** शैक्षणिक पदानुक्रम के अंदर एक समर्पित शिक्षण ट्रैक बनाने से शिक्षकों को शिक्षणशास्त्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। संकाय केवल शोध आउटपुट के बजाय शिक्षण कौशल के आधार पर प्रगति कर सकते हैं।

भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP):** NEP गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रोत्साहन देती है और इसका उद्देश्य देश में कौशल अंतर को समाप्त करना है। यह शोध और शिक्षण गुणवत्ता के बीच संतुलन को प्रोत्साहित करती है।
- **अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (ANRF):** ANRF शोध का समर्थन करता है और संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है, गुणवत्तापूर्ण शोध तथा शिक्षण मानकों के विकास का समर्थन करता है।
- **अनुसंधान नवाचार और प्रौद्योगिकी को प्रभावित करना (IMPRINT):** इस पहल का उद्देश्य सबसे प्रासंगिक इंजीनियरिंग चुनौतियों का समाधान प्रदान करना और 10 चयनित प्रौद्योगिकी डोमेन में ज्ञान को व्यवहार्य प्रौद्योगिकी में बदलना है।
- IIT दिल्ली, IIT गुवाहाटी, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, IIT चेन्नई में अनुसंधान पार्क स्थापित किए गए हैं, जो IIT के छात्रों और संकाय सदस्यों के सहयोग से अपनी R&D इकाइयाँ स्थापित करने के लिए उद्यमिता और उद्योग के बीच एक इंटरफेस प्रदान करते हैं।

निष्कर्ष

- देश के शिक्षण संस्थानों को पुनर्जीवित करना एक बड़े, उच्च-गुणवत्ता वाले प्रतिभा पूल का निर्माण करने के लिए महत्वपूर्ण है, जो नवीन अनुसंधान और वैज्ञानिक खोजों को आगे बढ़ाने में सक्षम हो।
- शैक्षणिक उत्कृष्टता को प्राथमिकता देकर, समर्पित शिक्षण ट्रैक बनाकर और शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर, भारत एक शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित कर सकता है जहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षण तथा प्रभावशाली अनुसंधान एक-दूसरे को सुदृढ़ करते हैं।

Source: TH

विश्व सौर रिपोर्ट श्रृंखला

सन्दर्भ

- विश्व सौर रिपोर्ट श्रृंखला का तीसरा संस्करण अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 7वीं सभा में जारी किया गया।

परिचय

- हाल ही में लॉन्च की गई 4 रिपोर्टें, अर्थात् विश्व सौर बाजार रिपोर्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट, विश्व प्रौद्योगिकी रिपोर्ट और अफ्रीकी देशों के लिए ग्रीन हाइड्रोजन तत्परता आकलन, प्रत्येक स्थायी ऊर्जा की ओर वैश्विक परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र को प्रकट करती हैं।
- पहली बार 2022 में प्रस्तुत की गई, यह श्रृंखला सौर प्रौद्योगिकी में वैश्विक प्रगति, प्रमुख चुनौतियों तथा क्षेत्र में निवेश के दृष्टिकोण का व्यापक अवलोकन प्रदान करती है।

मुख्य विशेषताएं

- **विश्व सौर बाजार रिपोर्ट**

- **सौर क्षमता में वृद्धि:** वैश्विक सौर क्षमता 2000 में 1.22 गीगावाट से बढ़कर 2023 में 1,418.97 गीगावाट हो गई है - जो 40% वार्षिक वृद्धि दर है।
- **सौर उद्योग रोजगार में तेजी:** यह 16.2 मिलियन रोजगार प्रदान करता है, जिसमें सौर 7.1 मिलियन के साथ अग्रणी है - 44% और 86% की वृद्धि।

- **विश्व निवेश रिपोर्ट**
  - **ऊर्जा निवेश में घातीय वृद्धि:** वैश्विक ऊर्जा निवेश 2018 में 2.4 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 2024 में 3.1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने वाला है - जो वार्षिक लगभग 5% की स्थिर वृद्धि है।
  - **एशिया प्रशांत क्षेत्र वैश्विक सौर निवेश में अग्रणी:** एशिया-प्रशांत क्षेत्र सौर निवेश में अग्रणी है और 2023 में सौर ऊर्जा में 223 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा।
- **विश्व प्रौद्योगिकी रिपोर्ट**
  - इसमें सौर पी.वी. मॉड्यूलों में रिकॉर्ड 24.9% दक्षता, 2004 से सिलिकॉन उपयोग में 88% की कमी, तथा उपयोगिता-स्तरीय सौर पी.वी. लागत में 90% की गिरावट शामिल है, जिससे लचीले, लागत प्रभावी ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा मिला है।
- **अफ्रीकी देशों में ग्रीन हाइड्रोजन की तैयारी का आकलन रिपोर्ट**
  - ग्रीन हाइड्रोजन कोयला, तेल और गैस का एक व्यवहार्य विकल्प प्रदान करता है, जो अफ्रीका के स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण में सहायक है।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में

- यह 120 सदस्य और हस्ताक्षरकर्ता देशों वाला एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है।
- **स्थापना:** 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद द्वारा।
- **मुख्यालय:** भारत में मुख्यालय वाला पहला अंतरराष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन।
- **मिशन:** 2030 तक सौर ऊर्जा में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश प्राप्त करना।
  - प्रौद्योगिकी और इसके वित्तपोषण की लागत को कम करना।

भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता

- भारत की कुल बिजली उत्पादन क्षमता 452.69 गीगावाट तक पहुँच गई है।
- 8,180 मेगावाट परमाणु क्षमता के साथ, कुल गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली अब देश की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का लगभग आधा भाग है।
- 2024 तक, अक्षय ऊर्जा आधारित बिजली उत्पादन क्षमता 201.45 गीगावाट है, जो देश की कुल स्थापित क्षमता का 46.3 प्रतिशत है।
  - सौर ऊर्जा 90.76 गीगावाट का योगदान देती है, पवन ऊर्जा 47.36 गीगावाट के साथ दूसरे स्थान पर है, जलविद्युत 46.92 गीगावाट उत्पन्न करती है तथा छोटी पनबिजली 5.07 गीगावाट जोड़ती है, और बायोमास एवं बायोगैस ऊर्जा सहित बायोपावर 11.32 गीगावाट जोड़ती है।

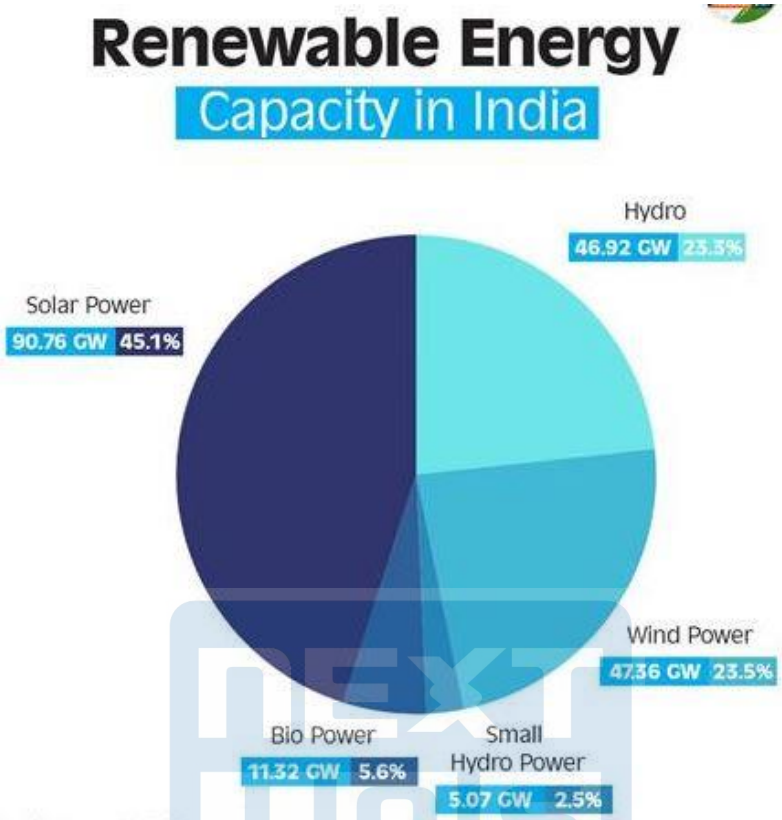

भारत के लक्ष्य

- भारत का विज़न 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना है, इसके अतिरिक्त अल्पकालिक लक्ष्य भी प्राप्त करने हैं, जिनमें शामिल हैं:
  - 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाना,
  - नवीकरणीय ऊर्जा से 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करना,
  - 2030 तक संचयी उत्सर्जन में एक बिलियन टन की कमी करना, और
  - 2005 के स्तर से 2030 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करना।

Source: PIB

संक्षिप्त समाचार

महाकुंभ मेला

समाचार में

- आगामी महाकुंभ मेला 13 जनवरी से 26 फरवरी, 2025 तक प्रयागराज में होगा।

महाकुंभ मेले के बारे में

- महाकुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण तीर्थस्थल है, जिसमें लाखों लोग आध्यात्मिक शुद्धि और मुक्ति के लिए पवित्र नदियों में स्नान करने आते हैं।
- **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:** कुंभ मेला मौर्य और गुप्त काल से शुरू हुआ है। मध्यकाल में इसे शाही संरक्षण प्राप्त था और यहां तक कि मुगल सम्राट अकबर ने भी इसमें भाग लिया था। जेम्स प्रिंसेप जैसे ब्रिटिश प्रशासकों द्वारा औपनिवेशिक अभिलेखों में इस त्यौहार का विस्तृत विवरण दिया गया है।
- **स्वतंत्रता के बाद:** भारत की स्वतंत्रता के बाद से, महाकुंभ मेला राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। यूनेस्को ने 2017 में इसे एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी, जो इसके स्थायी सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है।
- **धार्मिक महत्व:** यह त्यौहार हिंदू पौराणिक कथाओं में गहराई से निहित है और चार पवित्र स्थलों: हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में मनाया जाता है।
    - प्रत्येक मेला एक पवित्र नदी के किनारे स्थित है, जिसमें गंगा से लेकर शिप्रा, गोदावरी और प्रयागराज में गंगा, यमुना एवं पौराणिक सरस्वती का संगम शामिल है।
    - प्रत्येक कुंभ मेले का समय सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की ज्योतिषीय स्थितियों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसे आध्यात्मिक शुद्धि और आत्मज्ञान के लिए एक शुभ अवधि का संकेत माना जाता है।
- **मुख्य अनुष्ठान:** कुंभ मेले का मुख्य आकर्षण त्रिवेणी संगम (गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम) में स्नान करने का अनुष्ठान है, जिसे आत्मा को शुद्ध करने, पुनर्जन्म से मुक्ति दिलाने और आध्यात्मिक मुक्ति की ओर ले जाने वाला माना जाता है।
- **विशेष समारोह:** भव्य शाही स्नान (शाही स्नान) पौष पूर्णिमा जैसी शुभ स्नान तिथियों के साथ त्योहार की शुरुआत का प्रतीक है। पेशवाई जुलूस, जिसमें तपस्वी हाथियों और रथों पर परेड करते हैं, भी इसकी एक प्रतिष्ठित विशेषता है।
- **सांस्कृतिक उत्सव:** मेले में भारतीय कला, संगीत, नृत्य और शिल्प का प्रदर्शन किया जाता है, जिससे तीर्थयात्रियों को अपनी आध्यात्मिक यात्रा के साथ-साथ सांस्कृतिक उत्सव का अनुभव करने का अवसर मिलता है।
- **वैश्विक भागीदारी:** कुंभ एकता, सहिष्णुता और सार्वभौमिक आध्यात्मिकता के अपने संदेश से आकर्षित होकर अंतर्राष्ट्रीय तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है, जो मानवता की आंतरिक शांति की साझा खोज को दर्शाता है।

Source: PIB

देशबंधु चित्तरंजन दास

सन्दर्भ

- सांसदों ने देशबंधु चित्तरंजन दास को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

देशबंधु चितरंजन दास (1870 - 1925) के बारे में

- वह एक स्वतंत्रता सेनानी, नेता और समाज सुधारक थे, जिन्हें 20वीं सदी के आरंभिक राष्ट्रवादी आंदोलन में प्रमुख व्यक्तियों में से एक माना जाता है।
- वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के एक सक्रिय सदस्य बन गए और पार्टी के अधिक कट्टरपंथी विंग के साथ जुड़ गए।
- उनके शुरुआती राजनीतिक विचार बंकिम चंद्र और 'राष्ट्रगुरु' सुरेंद्रनाथ बनर्जी से प्रभावित थे, जो 1895 और 1902 में दो बार INC के अध्यक्ष रहे।
- वह स्वदेशी आंदोलन (1905-1908) में एक प्रमुख व्यक्ति थे, जिसका उद्देश्य अंग्रेजों द्वारा बंगाल के विभाजन के विरोध में ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना था।
- उन्होंने पंडित मोतीलाल नेहरू, अली बंधुओं, अजमल खान, विट्ठलभाई पटेल और अन्य के साथ मिलकर कांग्रेस के अंदर स्वराज्य पार्टी की स्थापना की।

Source: PIB

तमिलनाडु ने हीटवेव को राज्य-विशिष्ट आपदा घोषित किया

सन्दर्भ

- तमिलनाडु सरकार ने हीटवेव को राज्य-विशिष्ट आपदा के रूप में अधिसूचित किया है।

परिचय

- विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने घोषणा की है कि 2023 अब तक का सबसे गर्म वर्ष होगा।
- 2024 की गर्मियों में, भारत में भीषण और लंबी गर्मी की लहर चलेगी, जिससे मैदानी और पहाड़ी क्षेत्र झुलस जाएंगे, मृत्यु होंगी और हीट स्ट्रोक होंगे।
- **राज्य विशिष्ट आपदा:** इसमें हीटवेव से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करना और गर्मी को नियंत्रित करने में सहायता के लिए अंतरिम उपाय शुरू करना शामिल होगा।
    - इसके लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से व्यय किया जाएगा।

हीटवेव

- हीटवेव को असामान्य और अत्यधिक गर्म मौसम की एक लंबी अवधि के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें उच्च आर्द्रता होती है।
- भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने निम्नलिखित मानदंड निर्दिष्ट किए हैं:
    - हीटवेव को तब तक नहीं माना जाना चाहिए जब तक कि किसी स्टेशन का अधिकतम तापमान मैदानी क्षेत्रों के लिए कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस तक न पहुँच जाए।

Source: TH

चलो इंडिया अभियान (Chalo India Campaign)

सन्दर्भ

- पर्यटन मंत्रालय लंदन में चल रहे विश्व यात्रा मार्ट के दौरान चलो इंडिया अभियान शुरू करने जा रहा है।

परिचय

- चलो इंडिया भारत में अधिक विदेशी पर्यटकों को लाने के लिए अपनी तरह की पहली पहल है, जिसमें सरकार प्रवासी सदस्यों के "मित्रों" को मुफ्त वीजा प्राप्त करने की अनुमति देगी।
- प्रत्येक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्डधारक द्वारा एक विशेष पोर्टल पर नामित पांच विदेशी नागरिक निःशुल्क ई-वीजा (बिना शुल्क के दिया जाने वाला वीजा) के लिए पात्र होंगे।

ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया

- OCI को भारत सरकार ने 2005 में शुरू किया था।
- एक पंजीकृत OCI को भारत आने के लिए बहु-प्रवेश, बहुउद्देश्यीय आजीवन वीज़ा दिया जाता है।
- उन्हें भारत में किसी भी अवधि के प्रवास के लिए विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (FRRO) या विदेशी पंजीकरण अधिकारी (FRO) के साथ पंजीकरण से छूट दी गई है।
- OCI कार्डधारक भारत में विशेष बैंक खाते खोल सकते हैं, वे गैर-कृषि संपत्ति खरीद सकते हैं और स्वामित्व अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।
    - हालाँकि, उन्हें भारत में संरक्षित क्षेत्रों में जाने के लिए अनुमति या परमिट लेने की आवश्यकता होती है।

पात्रता मापदंड

- यह भारतीय मूल के सभी व्यक्तियों (PIOs) के OCI के रूप में पंजीकरण का प्रावधान करता है जो 26 जनवरी, 1950 को या उसके बाद भारत के नागरिक थे, या उक्त तिथि को भारत के नागरिक बनने के पात्र थे।
- कोई विदेशी नागरिक जो;
    - 15 अगस्त, 1947 के बाद भारत का हिस्सा बने किसी क्षेत्र से संबंधित हो; या
    - ऐसे नागरिक का बच्चा, पोता या परपोता; या
    - ऊपर वर्णित ऐसे व्यक्तियों का नाबालिग बच्चा; या
    - ऐसा नाबालिग बच्चा जिसके माता-पिता दोनों भारत के नागरिक हों या माता-पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, वह OCI कार्डधारक के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र है।

कौन OCI नहीं हो सकता?

- यदि किसी आवेदक के माता-पिता या दादा-दादी कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक रहे हों तो वह OCI कार्ड पाने का पात्र नहीं है।

- सेवारत या सेवानिवृत्त विदेशी सैन्यकर्मी भी OCI कार्ड पाने के पात्र नहीं हैं।

OCI को क्या करने की अनुमति नहीं है?

- OCI कार्ड धारक को वोट देने, विधान सभा या विधान परिषद या संसद का सदस्य बनने, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसे भारतीय संवैधानिक पदों पर रहने का अधिकार नहीं है।
- वह सामान्यतः सरकार में रोजगार नहीं पा सकता।

Source: IE

उच्चतम न्यायालय ने यूपी मदरसा अधिनियम की वैधता बरकरार रखी

सन्दर्भ

- उच्चतम न्यायालय ने कहा कि किसी कानून की वैधता को संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करने के कारण चुनौती नहीं दी जा सकती।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय

- उच्चतम न्यायालय ने 'उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004' की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस निर्णय को खारिज कर दिया, जिसने पहले इसे खारिज कर दिया था।
- इसका कारण यह है कि लोकतंत्र, संघवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसी अवधारणाएँ अपरिभाषित अवधारणाएँ हैं।
  - ऐसी अवधारणाओं के उल्लंघन के लिए कानून को रद्द करने की न्यायालयों को अनुमति देने से हमारे संवैधानिक न्यायनिर्णयन में अनिश्चितता का तत्व उत्पन्न होगा।
- न्यायालय ने इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण मामले में की गई टिप्पणी का उदाहरण दिया।

इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण मामला

- केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) में स्थापित मूल संरचना सिद्धांत ने माना कि संविधान के कुछ मूलभूत पहलुओं को संसद द्वारा भी संशोधित नहीं किया जा सकता है।
- हालांकि, इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण (1975) में, खंडपीठ के बहुमत ने निर्णय दिया कि यह सिद्धांत सामान्य कानून पर लागू नहीं होता है, क्योंकि क़ानून संवैधानिक संशोधनों के अधीन हैं और विधायी क्षमता की सीमा के अंदर रहते हैं।

Source: TH

भारत-कजाकिस्तान ने टाइटेनियम स्लैग (Titanium Slag) उत्पादन के लिए संयुक्त उद्यम बनाया

समाचार में

- भारत और कजाकिस्तान ने भारत में टाइटेनियम स्लैग के उत्पादन के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी, IREUK टाइटेनियम लिमिटेड की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

टाइटेनियम के बारे में

- टाइटेनियम एक मजबूत, हल्का और जंग-रोधी धातु है और यह पृथ्वी पर 9वां सबसे प्रचुर तत्व है।
- **प्राथमिक अयस्क:** रूटाइल (TiO_2) और इल्मेनाइट ($FeTiO_3$)
    - टाइटेनियम स्लैग इल्मेनाइट पिघलाने की प्रक्रिया का एक उपोत्पाद है, जहाँ इल्मेनाइट अयस्क को आगे शोधन के लिए उच्च शुद्धता वाले टाइटेनियम डाइऑक्साइड (TiO_2) फीडस्टॉक का उत्पादन करने के लिए संसाधित किया जाता है।
- **अनुप्रयोग:** स्थिरता और हल्के पदार्थों की आवश्यकता वाले उद्योगों में उपयोग किया जाता है। इसमें एयरोस्पेस घटक (विमान इंजन, फ्रेम), चिकित्सा प्रत्यारोपण (इसकी जैव-संगतता के कारण), ऑटोमोटिव पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और यहां तक कि खेल उपकरण भी शामिल हैं।

Source: ET

लिग्नोसैट: विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह

सन्दर्भ

- जापान ने विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है, जिससे यह सिद्ध हो जाएगा कि लकड़ी एक अंतरिक्ष-योग्य सामग्री है।

लिग्नोसैट के बारे में:

- "लकड़ी" के लिए लैटिन शब्द के नाम पर रखा गया लिग्नोसैट, होनोकी से बना है, जिसमें पेंच या गोंद के बिना पारंपरिक जापानी शिल्प तकनीक का उपयोग किया गया है। होनोकी, जापान में पाया जाने वाला एक प्रकार का मैगनोलिया वृक्ष है और पारंपरिक रूप से तलवार की म्यान बनाने के लिए उपयोग किया जाता है।
- क्योटो विश्वविद्यालय और सुमितोमो फ़ॉरेस्ट्री कंपनी द्वारा विकसित यह उपग्रह छह महीने तक पृथ्वी की परिक्रमा करेगा।
- यह उपग्रह मापेगा कि लकड़ी अंतरिक्ष के चरम वातावरण को कैसे सहन करती है, जहाँ प्रत्येक 45 मिनट में तापमान -100 से 100 डिग्री सेल्सियस तक उतार-चढ़ाव होता है, क्योंकि वस्तुएँ अंधेरे और सूरज की रोशनी में परिक्रमा करती हैं।
- यह लकड़ी की अर्धचालकों पर अंतरिक्ष विकिरण के प्रभाव को कम करने की क्षमता का भी आकलन करेगा, जिससे यह डेटा सेंटर निर्माण जैसे अनुप्रयोगों के लिए उपयोगी हो जाएगा।

क्या आप जानते हैं?

- पृथ्वी की तुलना में अंतरिक्ष में लकड़ी अधिक टिकाऊ होती है क्योंकि वहाँ कोई पानी या ऑक्सीजन नहीं होता जो उसे सड़ाए या जलाए।
- पारंपरिक धातु उपग्रह पुनः प्रवेश के दौरान एल्यूमीनियम ऑक्साइड कण बनाते हैं, लेकिन लकड़ी के उपग्रह कम प्रदूषण के साथ जल जाते हैं।

Source: AIR

रिवर सिटी एलायंस (River City Alliance)

सन्दर्भ

- केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रिवर सिटी एलायंस के तहत हरिद्वार में गंगा उत्सव 2024 का उद्घाटन किया।

रिवर सिटी एलायंस

- यह एक ऐसा संगठन है जिसमें अब देश भर के 145 नदी शहर शामिल हैं।
- एलायंस का मुख्य उद्देश्य नदी-संवेदनशील शहरी नियोजन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से स्वस्थ शहरी नदियों को बढ़ावा देना है।
- एलायंस भारत के सभी नदी शहरों के लिए खुला है। कोई भी नदी शहर किसी भी समय एलायंस में शामिल हो सकता है।

Source: PIB

PM ई-ड्राइव योजना (PM E-DRIVE Scheme)

समाचार में

- कैबिनेट ने मार्च 2026 तक 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (PM E-DRIVE) योजना को मंजूरी दी।

पीएम ई-ड्राइव योजना(PM E-DRIVE Scheme)

परिचय:

- यह सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों के समर्थन के माध्यम से जन गतिशीलता को बढ़ावा देता है।
- इसका प्राथमिक उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को अपनाने में तेजी लाना, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना और देश में एक मजबूत EV विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।

उद्देश्य:

- EVs के माध्यम से जन-आंदोलन को बढ़ावा दें।
- EV को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए EV खरीद के लिए अग्रिम प्रोत्साहन प्रदान करें।
- आत्मनिर्भर भारत पहल के साथ संरेखित एक प्रतिस्पर्धी ईवी विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करें।
- वायु गुणवत्ता में सुधार करें और परिवहन से संबंधित पर्यावरणीय प्रभावों को कम करें।

प्रमुख घटक:

- **सब्सिडी:** e-2Ws, e-3Ws, e-एम्बुलेंस, e-ट्रक और अन्य उभरती हुई ईवी श्रेणियों सहित विभिन्न EV प्रकारों के लिए प्रोत्साहन।
- **पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए अनुदान:** इलेक्ट्रिक बसों, चार्जिंग स्टेशनों और परीक्षण सुविधाओं के उन्नयन के लिए वित्तपोषण।
- **प्रशासनिक लागत:** इसमें IEC(सूचना, शिक्षा और संचार) गतिविधियों और एक परियोजना प्रबंधन एजेंसी के लिए वित्तपोषण शामिल है।

पात्र EV श्रेणियाँ:

- **दोपहिया वाहन:** निजी और वाणिज्यिक दोनों तरह के 24.79 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन, जिनमें उन्नत बैटरी होंगी।
- **तीन पहिया वाहन:** व्यावसायिक उपयोग के लिए उन्नत बैटरी वाले 3.2 लाख इलेक्ट्रिक तीन पहिया वाहन।
- **e-एम्बुलेंस**: 500 करोड़ रुपये आवंटित, प्रदर्शन और सुरक्षा मानकों का विकास किया जा रहा है।
- **e-ट्रक:** स्क्रैपिंग प्रमाणपत्र सत्यापन के साथ e-ट्रकों के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित।
- **e-बसें:** 14,028 इलेक्ट्रिक बसों के लिए 4,391 करोड़ रुपये आवंटित, प्रमुख शहरों के लिए मांग एकत्रीकरण के साथ, विशेष रूप से पुरानी बसों को बदलने के लिए।

Source: PIB

■■■■